उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-4

संख्या-03/2021/142/संघ/का-4-2021-303/2020

लखनऊ:: दिनांक:: 28 अप्रैल,2021

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- **सरकारी कार्यालयों में कोरोना संक्रमण (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था।**

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण **(कोविड-19)** को रोकने के लिए राज्य सरकार के स्तर से पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2021/527/सामान्य-का-4-2021-303-2020, दिनांक 09 अप्रैल, 2021, संख्या-07/भा0स0/का-4-2021-303/2020, दिनांक 21 अप्रैल,2021 के अनुक्रम में यह भी निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में कार्यरत शारीरिक रूप से दिव्यांग कार्मिकों एवं गर्भवती महिलाओं को घर से कार्य सम्पादित करने हेतु अधिकृत किया जाय। वे इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे। आवश्यकता होने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकेगा, शेष व्यवस्था यथावत् पूर्ण रूप से लागू रहेंगी।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव

संख्या-03(1)/2021/142/संघ/का-4-2021-303/2020तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव,विधान सभा एवं विधान परिषद, उ0प्र0।
3- समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
5- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

अरूण कुमार दुबे
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in